

पीएम मोदी बन गए हैं अडानी-अंबानी के अंतरराष्ट्रीय ब्रोकर!

जेपी सिंह

क्या विडंबना है कि भारत के प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पर आरोप लग रहे हैं कि वे विदेशों में अडानी-अंबानी को काम दिलवाते हैं। श्रीलंका में पीएम मोदी पर अडानी का ब्रोकर होने का आरोप लगा है तो फ्रांस और रफ़ाल मामले में भी अंबानी कि पैरेंटों का आरोप लगा था। आरोप है कि पीएम मोदी ने श्रीलंका में अडानी पवन ऊर्जा का काम दिलाया। बांग्लादेश में भी अडानी से बिजली खरीदने का सौदा खटाइ में पड़ता दिख रहा है जो 2017 में अडानी को मिला था।

श्रीलंका की इलेक्ट्रिसिटी अथारिटी के मुखिया ने वहां की संसदीय समिति के समक्ष बयान दिया है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे ने उनसे कहा था कि भारत के प्रधानमंत्री के दबाव के चलते अडानी ग्रुप को 500 मेगावाट का प्रोजेक्ट सीधे दे दिया जाय। इस आरोप के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर अडानी का ब्रोकर होने का आरोप लग रहा है और आप जानते हैं कि राफेल मामले में भी उनपर ऐसे ही आरोप लगे हैं और संतोषजनक जवाब अभी तक नहीं है। ये आरोप तब हैं जब प्रधानमंत्री के प्रचार में कहा गया था कि उनका कोई रिश्तेदार नहीं है वे किसके लिए भ्रष्टाचार करेंगे।

भडास डॉट काम पर संजय कुमार सिंह ने लिखा है कि दूसरी ओर, खबर यह भी है कि राजपक्षे ने इससे इनकार किया है। दो दिन बाद संबंधित अधिकारी ने भी 'मान लिया' कि वे झूठ बोल रहे थे। द वायर की 12 घंटे पहले (12 जून 2022 को दिन में कोई पैने तीन बजे से) की एक खबर के अनुसार, 24 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति ने मुझे बुलाकर इस बाबत कहा था। श्रीलंका के न्यूज़चैनल न्यूजफर्स्ट ने इससे संबंधित वीडियो भी अपलोड किया है। इसीलिए झूठ बोलने की बात स्वीकार करनी पड़ी होगी। एक तरफ तो यह आरोप है और दूसरी तरफ उससे निपटने का वही पुराना तरीका। ठीक है कि गोदी मीडिया इससे मान जाएगा पर दुनिया भर के मीडिया को ऐसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता है और इस मामले में अभी ही पर्यास तथ्य है।

सच यह भी है maritime gateway.com पर 13 मार्च 2022 की एक खबर का शीर्षक अंग्रेजी में है, अडानी को श्रीलंका में पावर प्रोजेक्ट मिले। इस खबर की शुरुआत होती है कोलंबो में एक महत्वपूर्ण पोर्ट टर्मिनल परियोजना हासिल करने के बाद अडानी समूह नेज। यानी टर्मिनल परियोजना का काम अक्सर नवंबर में मिला होगा। और खंडन के बावजूद 500 मेगावाट की परियोजना का काम मिला ही है। 13 मार्च की खबर में यह भी लिखा है कि इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

thenewsminute की एक खबर के अनुसार, अडानी के साथ श्रीलंका के करार की घोषणा तो नहीं हुई लेकिन उसी दिन एनटीपीसी और सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बीच हुए करार की घोषणा की गई थी। इसमें आगे लिखा है, श्रीलंका कि विपक्षी नेता अजीत परेरा ने मार्च में द हिन्दू से कहा था, यह सही है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने श्रीलंका को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता दी है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अक्षय ऊर्जा

क्षेत्र की हमारी मूल्यवान भूमि और संसाधन को उनके मित्र अडानी के लिए चुरा लिया जाए।

परेरा ने उस समय कहा था, यह बेहद दुखद है कि अडानी समूह ने श्रीलंका में प्रवेश करने के लिए पिछला दरवाजा चुना है। प्रतिस्पर्धा से बचने को हम ठीक नहीं मानते हैं। इससे हमारी खराब अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है, भुगतान संतुलन से संबंधित मामले प्रभावित होते हैं और हमारे नागरिकों को अतिरिक्त परेशानी होती है।

maritimegateway.com खबर में यह भी लिखा है कि यह खबर अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी के श्रीलंका दोरे और राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद आई है। एनडीटीवी की एक खबर के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मालदीव से वापस आते हुए 07 फरवरी 2022 को श्रीलंका पहुंचे थे। 09 फरवरी 2022 की डेली मिरर की खबर है कि प्रधानमंत्री मार्च में श्रीलंका जाएंगे। जयशंकर (विदेश मंत्री) जल्दी ही आने वाले हैं। जनसत्ता ऑनलाइन की 10 जून 2022 की एक खबर के अनुसार, श्रीलंका की संसद में अडानी समूह के गौतम अडानी का विरोध, आमने-सामने आ गए विषय-सरकार।

इसमें कहा गया है, विषय का आरोप है कि अडानी ग्रुप के सहयोग से उत्तरी तट पर 500 मेगावाट का पवन बिजली संयंत्र लगाने के लिए सरकार से सरकार के बीच करार 1989 के कानून में संशोधन की अहम वजह है। विषय की ओर से विरोध के बावजूद भी सरकार ने श्रीलंका बिजली अधिनियम में संशोधनों को पारित कर दिया। 225 सांसदों वाली श्रीलंकाई संसद में 120 वोट इस संयंत्र देने पर जोर दे रहे हैं। श्रीलंकाई चैनल न्यूफर्स्ट द्वारा साझा किए गए उनकी गवाही के एक वीडियो क्लिप के अनुसार, फर्डिनेंडो कहते हैं, '24 नवंबर, 2021 को एक बैठक के बाद राष्ट्रपति ने मुझे बुलाया और कहा कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी उन पर अडानी समूह को परियोजना सौंपने के लिए दबाव बना रहे हैं।'

श्रीलंका की इंजीनियर यूनियन का कहना है कि ये संशोधन अडानी ग्रुप को बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी डील देने के लिए किया जा रहा है। वहीं, एसजेबी का कहना है कि 10 मेगावाट की क्षमता वाले ऊर्जा प्रोजेक्ट को टैंडर के जरिए ही दिया जाना चाहिए, लेकिन ज्यादातर सांसदों ने इसके खिलाफ वोट किया है। मोर्दी विरोधियों की जमात के अनुसार मोदी ब्रोकर का काम कर रहे हैं। संबंधित अधिकारी ने यूटर्न ले लिया है इसलिए यह खबर अब शायद गोदी मीडिया के लिए खबर न रहे।

अब श्रीलंका में डैमेजेक एंट्रोल शुरू हो गया है। बिजली प्राधिकरण के प्रमुख ने एक संसदीय पैनल के सामने गवाही दी है कि उन्हें श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने उन्हें बताया था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 500 मेगावाट की पवन ऊर्जा (विंड पावर) परियोजना को सीधे अडानी समूह को देने पर जोर दिया था। रिपोर्ट के अनुसार बिजली उत्पादन करने वाले व्यक्ति के लिए उत्पादन लाइसेंस के लिए आवेदन करने के योग्य बनाता है इस तरह यह संशोधन 25 मेगावाट की उत्पादन क्षमता से अधिक बिजली उत्पादन करने वाले व्यक्ति के लिए बिजली उत्पादन लाइसेंस जारी करने पर प्रतिबंध हटा देगा और किसी को भी उत्पादन क्षमता पर बिना किसी प्रतिबंध के इसके लिए आवेदन करने की अनुमति देगा। बांग्लादेश में अडानी के साथ हुए उन्होंने कहा कि 'भावनाओं' में बहकर उन्होंने 'झूठ' बोला था।

सर्वजनिक उद्यमों की संसदीय समिति (सीओपीई) की एक सुनवाई में सीलोन



इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (सीईबी) के अध्यक्ष एमएमसी फर्डिनेंडो ने कहा कि श्रीलंका के राष्ट्रपति ने उनसे कहा था कि भारतीय प्रधानमंत्री अडानी समूह को 500 मेगावाट का पवन ऊर्जा संयंत्र देने पर जोर दे रहे हैं। श्रीलंकाई चैनल न्यूफर्स्ट द्वारा साझा किए गए उनकी गवाही के एक वीडियो क्लिप के अनुसार, फर्डिनेंडो कहते हैं, '24 नवंबर, 2021 को एक बैठक के बाद राष्ट्रपति ने मुझे बुलाया और कहा कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी उन पर अडानी समूह को परियोजना सौंपने के लिए दबाव बना रहे हैं।'

श्रीलंका की संसद में भी इसको लेकर गहमगहमी रही है। संसद में श्रीलंका के विषय के नारोप लगाया कि अडानी समूह की भागीदारी के साथ उत्तरी तट में 500 मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए सरकार-से-सरकार स्तर के एक 'अवाञ्छित' समझौते की वजह से 1989 के अधिनियम में संशोधन लाया गया। मुख्य विपक्षी दल एसजेबी चाहता था कि 10 मेगावाट क्षमता वाले ऊर्जा प्रोजेक्ट को गुजरात, लेकिन सरकार के अधिकांश सांसदों ने इसके खिलाफ मतदान किया। रिपोर्ट के अनुसार बिजली और ऊर्जा मंत्री द्वारा 17 मई, 2022 को संसद में पेश किया गया वह विधेयक एक व्यक्ति को बिजली पैदा करने के लिए उत्पादन लाइसेंस के लिए आवेदन करने के योग्य बनाता है इस तरह यह संशोधन 25 मेगावाट की उत्पादन क्षमता से अधिक बिजली उत्पादन करने वाले व्यक्ति के लिए बिजली उत्पादन लाइसेंस जारी करने पर प्रतिबंध हटा देगा और किसी को भी उत्पादन क्षमता पर बिना किसी प्रतिबंध के इसके लिए आवेदन करने की अनुमति देगा। बांग्लादेश में अडानी के साथ हुए उन्होंने कहा कि इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

शुरू हो गये हैं। बांग्लादेश वर्किंग ग्रुप अॅन एक्स्पर्टनल डेट (बीडब्ल्यूजीईडी) और इंडियन ग्रोथवॉच द्वारा सह-प्रकाशित एक रिपोर्ट से पता चला है कि बांग्लादेश अपने 25 वर्षों के जीवनकाल में अदानी गोड़ 1,600 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट से 1,496 मेगावाट (मेगावाट) बिजली आयात करने के लिए लगभग 11.01 बिलियन डॉलर का भुगतान करेगा। यही नहीं बिजली खरीद समझौते (पीपीए) के तहत क्षमता भुगतान के रूप में भारतीय अदानी समूह को भुगतान किए गए धन के साथ बांग्लादेश तीन पद्मा पुल, नौ कर्णफुली नदी सुरंग या चार मेट्रो रेल जैसे बड़े बुनियादी ढांचे का निर्माण कर सकता है।

रिपोर्ट के लेखक और बीडब्ल्यूजीईडी के सदस्य सचिव हसन मेहदी ने कहा, क्षमता शुल्क की राशि कर्णफुली नदी सुरंग के बजट से नौ गुना और ढाका मेट्रो रेल से चार गुना अधिक है। 2010-2011 के बाद से, बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड (BPDB) ने स्वतंत्र बिजली उत्पादकों (IIP) और किराये और त्वरित किराये के बिजली संयंत्रों के मालिकों को क्षमता शुल्क के रूप में लगभग 8.54 बिलियन का भुगतान किया है।

मेहदी ने क